

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक ०५/०५/२०२३

क्रमांक ६९९/१७३७/२०२२/१०-१ :: विभाग के आदेश क्रमांक १७७/१७३/२०२२/१०-१, दिनांक १९.०१.२०२३ के क्रमांक २४ पर अंकित श्रीमती प्रीति काकोड़िया, वनक्षेत्रपाल को म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर) से सेवायें वापिस लेते हुये कार्य आयोजना इकाई शहडोल में पदस्थ किया गया है।

२/ राज्य शासन एतद्वारा उक्त पदस्थापना में संशोधन कर श्रीमती प्रीति काकोड़िया, वनक्षेत्रपाल को म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर) से सेवायें वापिस लेते हुये कार्य आयोजना इकाई नर्मदापुरम (होशंगाबाद) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।



APCCF (ADM)

R

6/५/२३

प्रभुद्वारा (वन बल प्रभुत्व)

म.प्र. वनोपाल

६१५/५/२३

पृ० क्रमांक: ७०८/१७३७/२०२२/१०-१, प्रतिलिपि:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक ०५/०५/२०२३

- (१) महालेखाकार, मध्यप्रदेश गवालियर।
- (२) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रभुत्व म० प्र०, भोपाल।
- (३) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन-भू-अभिलेख)।
- (४) प्रबंध संचालक, म०प्र०राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
- (५) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-॥), भोपाल।
- (६) स्टाफ ऑफीसर, प्रभुत्व सचिव, वन विभाग, मंत्रालय।
- (७) विशेष सहायक, माननीय वन मंत्रीजी, भोपाल।
- (८) संबंधित मुख्य वन संरक्षक म० प्र०।
- (९) संबंधित वनमण्डलाधिकारी म० प्र०।
- (१०) संबंधित द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन
- (११) गार्ड फाईल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



६१५/५/२३
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

APCCF (ADMN-II)

०६ APR 2023

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म0प्र0, भोपाल।

पृ0क्रमांक / प्रशा— ॥/स्था.3 / व.क्षे.कक्ष / २५३३ भोपाल, दिनांक २६/०४/२०२३
प्रतिलिपि:

1. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रद्योगिकी), म0प्र0 की ओर बैक्सार्ट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, नर्मदापुरम (होशगाबाद) / शहडोल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना होशगाबाद / शहडोल म0प्र0।
5. संबंधित कोषालय अधिकारी म.प्र.द्वारा संबंधित वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से
6. वनक्षेत्रपाल द्वारा संबंधित नियंत्रण कर्ता अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है वनक्षेत्रपालों को नियमानुसार नई पदस्थापना हेतु भारमुक्त करने की कार्रवाही करें।

(हरिशंकर मौहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा— ॥)

मध्यप्रदेश भोपाल

२५/०४/२३